

मुंबई स्नातक निर्वाचन चुनाव के लिए भी डाक मतदान की सुविधा मिलनी चाहिए: राम नाईक

लखनऊ: 17 जून, 2018

लखनऊ: 'महाराष्ट्र विधान परिषद के मुंबई स्नातक निर्वाचन चुनाव के लिए मतदान करने की मेरी तीव्र इच्छा है; निर्वाचन आयोग इसके लिए मुझे मतपत्रिका भेजे। अब तक मैंने हर चुनाव में मतदान का कर्तव्य निभाया है। इस बार भी मैं मतदान के लिए उत्सुक हूँ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल होने के नाते डाक मतदान की सुविधा होनी चाहिए।' इस आशय का पत्र उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ओम प्रकाश रावत को भेजा है। उल्लेखनीय है कि 25 जून, 2018 को महाराष्ट्र विधान परिषद के मुंबई स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का मतदान निर्धारित है।

जनप्रतिनिधि कानून के तहत राज्यपाल व उनकी पत्नी श्रीमती कुंदा नाईक 'विशेष मतदाता' माने जाते हैं। जिस प्रकार अन्य स्थान पर तैनात रहने वाले रहने वाले सरकारी कर्मचारी डाक द्वारा मतदान कर सकते हैं उसी प्रकार का अधिकार विशेष मतदाताओं को भी होता है। अक्टूबर 2014 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के समय भी श्री नाईक व उनकी पत्नी ने डाक द्वारा मतदान किया था।

राज्यपाल श्री राम नाईक को मुंबई से प्रत्याशी श्री अमित मेहता ने दूरभाष पर सूचित किया कि निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्याशियों के साथ हुई एक बैठक में यह बताया गया है कि स्नातक चुनाव में भी डाक द्वारा मतदान करने की सुविधा है। नियम के अनुसार मतदान के दस दिन पूर्व डाक मतपत्रिका की माँग करनी होती है। श्री नाईक ने अपनी अर्जी निर्वाचन अधिकारी को भेजी थी। किंतु निर्वाचन अधिकारी डॉ० जगदीश पाटील ने राज्यपाल राम नाईक को सूचित किया कि स्नातक चुनाव में डाक द्वारा मतदान करने का प्रावधान नहीं है। जनप्रतिनिधि कानून में प्रावधान होते हुए भी अधिकार न मिलने से राज्यपाल राम नाईक ने अब सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ओमप्रकाश रावत को पत्र लिखा है।

स्नातक चुनाव के लिए हर बार नये सिरे से मतदाता सूची बनायी जाती है। राज्यपाल श्री राम नाईक एवं उनकी पत्नी श्रीमती कुंदा नाईक ने भी अपने नाम इस मतदाता सूची में दर्ज करा चुके हैं।

अंजुम/ललित/राजभवन (240/17)